झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

अधि०सं0–8 / गठन / 113 / 2017 / न०वि०आ० / 5655 **राँची, दिनांक**–01/09/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (2) (स) धारा–4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा–(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, के आदेश से कोडरमा जिलान्तर्गत डोमचांच एवं उसके आस–पास के 07 राजस्व ग्रामों को मिलाकर उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–07 / स०, दिनांक–04.01.2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभागीय अधिसूचना सं०–666, दिनांक– 23.01.2017 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणीय) शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए, उपायुक्त, कोडरमा को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, कोडरमा द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई कर निष्पादित करते हुए पत्रांक–163, दिनांक–04.04.2017 द्वारा डोमचांच नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गई।

राज्य निर्वाचन आयोग, राँची से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारूप प्रकाशन में अंकित त्रुटियों का निराकरण करते हुए उपायुक्त, कोडरमा के द्वारा पत्रांक–377 / सा०, दिनांक–11.07.2017 से डोमचांच एवं उसके आस–पास के 07 राजस्व ग्रामों को मिलाकर डोमचांच नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र) के रूप में गठन करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (2) (स), धारा–4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा–(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, कोडरमा जिलान्तर्गत डोमचांच एवं उसके आस–पास के 07 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से उक्त क्षेत्र को डोमचांच नगर पंचायत के रूप में घोषित करते है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

1.9.17

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 113 / 2017 / न०वि०आ० / 5655 **राँची, दिनांक**–01/09/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

1.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 113 / 2017 / न०वि०आ० / 5655 **राँची, दिनांक**–01/09/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 113 / 2017 / न०वि०आ० / 5655 **राँची, दिनांक**–01/09/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/E/Sec.-8/Adisuchna-12

अनुलग्नक–1

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
डोमचांच नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–377/स०, दिनांक–11.07.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत प्रस्तावित डोमचांच नगर पंचायत में सम्मिलित होनेवाले 07 राजस्व ग्रामों की सूची:–

पंचायत का नाम	क्र०	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
डोमचांच उत्तरी	1	डोमचांच अंश	68	6293
डोमचांच दक्षिणी	2	डोमचांच अंश	68	6112
डोमचांच पूर्वी	3	डोमचांच अंश	68	3404
	4	महेशपुर	216	774
महथाडीह	5	महथाडीह	66	4084
	6	दूरोडीह	67	1545
तेतरीयाडीह अंश	7	तेतरीयाडीह अंश	63	2319
			कुल–	**24531**

1. डोमचांच नगर पंचायत की कुल जनसंख्या–24531 व्यक्ति।
2. प्रस्तावित नगर पंचायत का क्षेत्रफल–17.48 वर्ग कि०मी०।

(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Manju/E/Sec-8/ Sanlekh Final-Domchach Nagar Panchayat-3